

प्रपत्र-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का विवरण:- एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नवनिर्माण(लम्बाई 2.015 किमी0)।

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड भैसियाछाना के नौगांव से कनारीछिना मोटर मार्ग का नवनिर्माण (लम्बाई 2.015 किमी0)।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत। रू0 14.58 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों का सर्वेक्षण किया गया। तकनीकी कारणों से वैकल्पिक स्थानों पर मार्ग निर्माण करना सम्भव नहीं है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए) आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। मार्ग निर्माण से क्षेत्रीय ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। एवं गांवों से पलायन नहीं होगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:

सिविल भूमि	1.242 है0
वनपंचायत भूमि	0.135 है0
योग	1.377 है0
नॉन ग्रैंड -	0.4365 है0
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या आवश्यकता नहीं है।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या आवश्यकता नहीं है।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) आवश्यकता नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

सारणी 4 संलग्न है।

दिनांक.....
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर
नाम
मेहर

सहायक
निर्माण खण्ड, लो० न० वि०
अल्मोड़ा

अध्यासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० न० वि०
अल्मोड़ा

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)